न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6124

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या 370/2024

कम्प्यूटर पंजीयन संख्याः 370/2024

CNR No. UPGZ010119672024

यूनियन ऑफ इंडिया––––––––––**बनाम**––––––––––एन०के० गर्ग

16–09–2025

1– पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

2– प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

3– प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांकित 23–07–2024 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय से प्रस्तुत किया गया हैं कि प्रश्नगत वाद का निस्तारण दिनांक 28–05–2024 को विचारण न्यायालय द्वारा किया गया हैं जिसकी जानकारी विपक्षी/प्रतिवादी को नहीं थी कि वाद में अंतिम आदेश पारित हो गया है। उक्त वाद का निस्तारण हो जाने पर विपक्षी/प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि के लिये आवेदन किया गया, परन्तु जून माह में सिविल न्यायालय बंद होने तथा सिविल न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त वाद के आदेश की सत्यप्रतिलिपि नहीं मिल पायी। इसलिये प्रार्थनापत्र को दायर करने में देरी हुई है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थनापत्र को दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा कर प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाए।

4– उत्तरदाता की ओर से न तो कोई उपस्थित आया और न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता हैं कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28–05–2024 को अपास्त किये जाने हेतु पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थी का कथन हैं कि उसे आदेश की सत्यप्रतिलिपि समय से नहीं मिल सकी जिस कारण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती या लापरवाही नहीं की है। मामले का निस्तारण गुण–दोष पर होना चाहिए। तदनुसार मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थनापत्र दिनांकित 23–07–2024 को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण/सुनवाई प्रार्थनापत्र दिनांकित 23–07–2024 हेतु दिनांक 30–09–2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार–IV)
अपर जिला जज, कोर्ट सं० 1
गाजियाबाद।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2025.09.25 12:49:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court